न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 51 / 2024(GCMS 2024/189)
(RTI No. 212912122661112)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह गांव 5 केएसडी, पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619[illegible]862)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 25.07.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2024 से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग बीकानेर क्रमांक प. 13(65)संआबी / पंचा / 2023 / 801 दिनांक 26.06.2023 व सूचना का अधिकार में धारा 21 में कानूनी कार्यवाही एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश की पालना रिपोर्ट एवं क्रमांक प2 / सम्भाबी / संस्था / विविध 24 / 264 दिनांक 18.03.2024 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को लिखा था, दोनों पेजों की फोटो कॉपी संलग्न है। इन दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
2. बिन्दु एक के अनुसार इन दोनों प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में मुकन्द सिंह के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
3. अप्रार्थी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
4. दोनों प्रार्थना पत्रों पर बिन्दु ए[illegible]सार दिनांक अनुसार निर्णय जांचकर्ता [illegible] प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
5. प्रार्थी को (मुकन्द सिंह) ब्यानों व सुनवाई के लिए दिये गए नोटिस की फोटो कॉपी चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. प्रार्थना की जांच रिपोर्ट निष्कर्ष निकाले गए की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
7. इन दोनों प्रार्थना पत्र बिन्दु एक के अनुसार सम्पूर्ण पत्रावली मय सील दस्तावेज चाहा है।
8. इन दोनों प्रार्थना पत्र पर न्याय करने क्रमानुसार कदम–2 अनुसार कार्यशैली जिस जिस लोक सेवक के टेबल पर गई है

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा ने अपने पत्रांक एफ17(1)( ) न्याय(आरटीआई) /2024/630 दिनांक 06.03.2025 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

क्र. सं.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के क्रम में आवेदन के बिन्दु	सूचना के क्रम में प्रत्युत्तर
1	कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग बीकानेर क्रमांक प. 13(65)संआबी/पंचा/2023/801 दिनांक 26.06.2023 व सूचना का अधिकार में धारा 21 में कानूनी कार्यवाही एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश की पालना रिपोर्ट एवं क्रमांक प2/सम्भाबी /संस्था/ विविध 24/264 दिनांक 18.03. 2024 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को लिखा था, दोनों पेजो की फोटो कॉपी संलग्न है। इन दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	1. कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर क्रमांक पत्र 13(65)सं.आर.बी./पंचा/ 23/807 दिनांक 26.06. 2023 (सूचना का अधिकारी 2005 के अनुसार धारा 21 के अनुसार कानून तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाने बाबात–विषयक पत्र) की प्रमाणित प्रतितिपि पत्र के संलग्न हे। 2. कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर का पत्रांक प.2 (सम्भाबी)संस्था/विविध 24/ 264 दिनांक 18.03. 2024 से संबंधित पत्रावली इस अनुभाग में संधारित नहीं है, बल्कि **राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, से संबंधित हो सकती है।**
2	बिन्दु एक के अनुसार इन दोनों प्रार्थना पत्रों के सम[illegible] सिंह के ब्यानों की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	1. कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, [illegible] क्रमांक पत्र [illegible]5)सं.आर.बी./ [illegible]23/ 807 दिनांक [illegible]06.2023 (सूचना का [illegible]धिकार 2005 के अनुसार [illegible]रा 21 के अनुसार कानून तोडने पर एफआईआर दर्ज करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:07 IST
Reason: SelfAttested

M
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 51 / 2024
(GCMS No. 202/189)
(RTI No. : 212912122661112)

		बाबत– विषयक पत्र) के क्रम में प्रार्थी के बयान इस कार्यालय के माध्यम से नहीं लिये थे, जिसके कारण पत्रावली में संधारित नहीं है। 2. कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर का पत्रांकप.2(सम्भाबी) संस्था / विविध 24 / 264 दिनांक 18.03.2024 से संबंधित पत्रावली इस अनुभाग में संधारित नहीं है, **बल्कि राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट से सम्बन्धित हो सकती है।**
3	अप्रार्थी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	अप्रार्थी का कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय के माध्यम से नहीं लिया गया है, अतः पत्रावली संधारित नहीं है।
4	दोनों प्रार्थना पत्रों पर बिन्दु एक के अनुसार दिनांक अनुसार निर्णय जांचकर्त्ता की रिपोर्ट पद नाम सहित प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	1. संभागीय निदेशक(सां.), कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर (पत्रांक एफ.17( ) न्याय / 2023 / 5566 दिनांक 24.11.2023, जिसकी प्रतिलिपि **पूर्व में आपको उपलब्ध करवायी जा चुकी है),** की प्रमाणित प्रति आपको पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। 2. कार्यालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर का पत्रांकप.2(सम्भाबी) संस्था / विविध 24 / 264 दिनांक 18.03.2024 से संबंधित पत्रावली इस अनुभाग में संधारित नहीं है, बल्कि **राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट से सम्बन्धित हो सकती है।**
5	प्रार्थी को (मुकन्द सिंह) ब्यानों [illegible] सुनवाई के लिए [illegible] की फोटो कॉपी चाही है।	[illegible] को इस कार्यालय द्वारा [illegible] सुनवाई के लिए कोई [illegible] किया गया [illegible] अतः पत्रावली में संधारित [illegible] है।
6	प्रार्थना की जांच रिपोर्ट निष्कर्ष निकाले गए की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 04 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

7	इन दोनों प्रार्थना पत्र बिन्दु एक के अनुसार सम्पूर्ण पत्रावली मय सील दस्तावेज चाहा है।	बिन्दु संख्या 01, 02 एवं 04 के अनुसार
8	इन दोनों प्रार्थना पत्र पर न्याय करने क्रमानुसार कदम–2 अनुसार कार्यशैली जिस जिस लोक सेवक के टेबल पर गई है	बिन्दु संख्या 04 के अनुसार

प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपने पत्रांक 630 दिनांक 06.03.2025 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 405–406 दिनांक 28.07.2024 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, **राजस्व शाखा एवं न्याय शाखा, कलक्ट्रेट** को भिजवाया गया था। प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के **पत्रांक सीजी / वाचक / 24 / 1656–57 दिनांक 20.11.2024 एवं स्मरण पत्र 25–26 / 08.01.2025, 205–206 / 05.02.2025, 837 / 28.03.2025, 980 / 30.04.2025, 1158 / 20.05.2025 एवं 1536 / 17.07.2025 से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब / टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:**

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:59:07 IST
Reason: SelfAttested

M
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 51/2024
(GCMS No. 202/189)
(RTI No. : 212912122661112)

चूंकि प्रभारी अधिकारी, **राजस्व शाखा द्वारा** अपीलार्थी **द्वारा** वांछित **सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है उनके द्वारा** अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। **आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।** इसलिए प्रार्थी की अपील प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा से सम्बन्धित सूचना की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा, वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा/राजस्व शाखा को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:07 IST
Reason: SelfAttested